वित्तीय स्वीकृति

संख्या-33/भा0स014/52-3-14-बजट(16)/14

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग -3, लखनऊः दिनांक 20 मई, 2014

विषयः-केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा/मकतब शिक्षा आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा समायोजित की गयी धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेशं हुआ है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-एफ -8-23/2013-ईई -19 दिनांक 24-9-2013, पत्र सं0- एफ -8-36/2013-ईई-19 दिनांक 14-3-2014 एवं पत्र सं0- एफ-8-37/2013-ईई-19 दिनांक 19-3-2014 के अनुसार क्रमशः 45,1446 तथा 849 मदरसों की लाट हेतु निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-5 के अनुरूप क्रमशः रू0 38,92,000/- रू0 25,22,88,000/- तथा रू0 16,35,12,000/- की धनराशि अनुमोदित करते हुये उसके सापेक्ष स्तम्भ-6 के अनुरूप धनराशि के समायोजन के उपरान्त क्रमशः 0 38,52,000/-, रू0 6,41,13,000/- तथा रू0

http://shasanadesh.up.nic.in

1,96,27,310/- अर्थात कुल रू0 8,75,92,310/- की धनराशि अवमुक्त की गयी हैः

क्र0 सं	भारत सरकार का पत्र सं0	लाट संख्या	शैक्षिक सत्र जिसके लिए भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत की गयी है	अनुमोदित धनराशि	समायोजित की गयी धनराशि अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	□□-8-23/2013□□-19 दिनांक 24-9-2013	45	2012-13	38,52,000/-	--	38,52,000/-
2	□□-8-36/2013-□□-19 दिनांक 14-3-2014	1446	2013-14	25,22,88,000/-	6,20,31,000/-	6,41,13,000/- (प्रथम किश्त के रूप में)
3	□□-8-37/2013-□□-19 दिनांक 19-3-2014	849	2013-14	16,35,12,000/-	6,21,28,390/-	1,96,27,310/- (प्रथम किश्त के रूप में)
	योग				12,41,59,390/-	8,75,92,310/-

2- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी 1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14-3-2014 के प्रस्तर-2(1) व 2(5) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्यय में मदरसा आधुनिकीकरण योजना हेतु आयोजनागत पक्ष में प्राविधान हेतु प्रस्तावित धनराशि रू0 2,00,00,00,000/- के सापेक्ष 04 माह के लेखानुदान के रूप में पारित धनराशि रू0 66,66,66,000/- (रू0 छाछठ करोड़ छाछठ लाख छाछठ हजार मात्र) के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा 45, 1446 तथा 849

http://shasandesh.up.nic.in

मदरसों में कार्यरत शिक्षकों के मानदेय हेतु कुल स्वीकृत धनराशि रू0 8,75,92,000/- (रू0 आठ करोड़ पचहत्तर लाख बानवें हजार ः) निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) राज्य सरकार द्वारा अनुदानित या वेतन/मानदेय दिये जाने वाले मदरसा शिक्षकों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर दिनांक 30-9-2014 तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि भारत □□□□ □□ प्राप्त अनुदान से मानदेय/वेतन मद में दोहरा भुगतान न होने पाये एवं पारदर्शिता बनी रहे।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग इस संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि मदरसों के अस्तित्व के संबंध में पूरी तरह से आश्वस्त होने एवं आधुनिक विषयों (हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन) के शिक्षण कार्य करने वाले शिक्षकों के अध्यापन की पुष्टि होने के पश्चात ही धनराशि भुगतान की जायेगी। यह भी पुनः देख लिया जायेगा कि लाभान्वित मदरसा भारत सरकार द्वारा मदरसा आधुनिकीकरण योजनान्तगत निर्गत गाइड लाइन की समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों को पूर्ण करता है। यदि किसी मदरसें में अनियमित □गतान किया जाता , तो इसके लिये संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से पूर्णतयः उत्तरदायी होंगे तथा अनियमित रूप से भुगतान की गयी धनराशि की वसूली नियमानुसार उनसे सुनिश्चित की जायेगी।

(4) निदेशक एवं अल्पसंख्यक कल्याण अधि रियों का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे स्वीकृत धनराशि का दिशा-निर्देशो के अनुसार सदुपयोग सुनिश्चित करेगें। किसी भी दशा में अस्तित्वहीन मदरसे तथा अस्तित्वहीन शिक्षक को धनराशि वितरित न हो, वितरण तभी सुनिश्चित किया जायेगा जो वास्तव में उपस्थित रह कर मदरसों में शिक्षण कार्य सुनिश्चित कराया गया हों। वितरण पारदर्शी तरीके से होगा तथा व्यय का पूर्ण लेखा-जोखा व अभिलेख सुरक्षित रखने का दायित्व जि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत योजना की धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा, जो धनराशि व्यय नही हो सकती उसकी जानकारी विवरण सहित शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(5) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केवल योजनान्तर्गत कार्यरत शिक्षकों के मानदेय का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में यह धनराशि किसी अन्य प्रयोजनार्थ व्यय नहीं की जायेगी।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31-7-2014 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2014-15 के लेखानुदान एवं तदसंबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत निधि से पूरित हो तथा पश्चातवर्ती अवधि के लिए आवश्यक धन व्यवस्था 2014-15 के मूल आय व्ययक एवं तदसंबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा उपलब्ध हो जाय।

4- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय -व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में अरबी फारसी

http://shasanadesh.up.nic.in

मदरसों का आधुनिकीकरण (के0100/रा0-के0)-20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी 1-795/दस-2014-231/2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में प्रदत्त निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं

भवदीय,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-भा0स014/52-3-14 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-संयुक्त निदेशक(एम0सी0)(मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग) भारत सरकार, शास्त्री भवन, नयी दिल्ली।

2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

3-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4-वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय, महालेखाकार (लेखा प्रथम) सत्यनिष्ठा भवन थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।

5-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

6-सचिव, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन।

7-निदेशक उर्दू/प्राच्य भाषायें/बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

8-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

9-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704, जवाहर भवन, लखनऊ।

10-निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, उ0प्र0।

http://shasanadesh.up.nic.in

11-वित्त (ई-11) अनुभाग /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3 संबंधित सहायक /गार्ड फाईल।

[redacted]

आज्ञा से,

(राकेश कुमार मिश्र)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in